कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–....1138/दो–12–40/16 उज्जैन,दिनांक..26.नवम्बर, 2024

न्यायिक जिला स्थापना, उज्जैन से संबंधित नजारत अनुविभागों से प्रायः इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है कि अभिभाषकगण/पक्षकारगण संबंधित न्यायालय में सी.सी.डी. की राशि जमा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है और संबंधित न्यायालय उनके आवेदन पत्र पर आदेश अंकित करते है कि नाजिर सी.सी.डी. में राशि जमा करें लेकिन अभिभाषकगण/ पक्षकारगण न्यायालय के आदेशानुसार सीधे सी.सी.डी. खातें में राशि जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति न तो संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करते है एवं न ही नजारत में प्रस्तुत करते है बल्कि वह जमा राशि की चालान प्रति अपने पास रख लेते है इसके कारण नाजिर उक्त राशि की यथा दिनांक को सी.सी.डी. पंजी में प्रविष्टि नहीं कर पाते है।

इस संबंध में इस न्यायिक जिला स्थापना एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जब भी उनके न्यायालय में अधिवक्तागण/ पक्षकारगण सी.सी.डी. की राशि जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी को उक्त आवेदन पत्र पर "नाजिर राशि सी.सी.डी. खातें में जमा करें" संबंधी टीप अंकित न करते हुए भविष्य में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर यह टीप अंकित करें कि "अभिभाषक/पक्षकार सी.सी.डी. राशि ऑनलाईन जमा करें"। साथ ही अधिवक्तागण/पक्षकारगण को निर्देशित करें कि सी.सी.डी. खातें में राशि जमा करते समय उक्त ई–चालान में सही प्रकरण क्रमांक एवं जिस पक्षकार द्वारा राशि जमा की जाना है उसके नाम के साथ–साथ जमाकर्ता के पिता/पति के नाम का भी सुस्पष्ट उल्लेख ई–चालान प्रति में आवश्यक रूप से करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही राशि जमा करने के उपरांत तुरन्त उसी दिनांक को आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन चालान की दो प्रति आवश्यक रूप से संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार के पास जमा कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार अभिभाषकगण/पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन एवं ई–चालान की एक प्रति नजारत अनुविभाग में संधारित सी.सी.डी. पंजी में प्रविष्टि करने हेतु उसी दिनांक को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त अभिभाषकगण यह सुचित करना सुनिश्चित करें कि बिना न्यायालय के आदेश के किसी भी प्रकार में राशि सीधे ऑनलाईन जमा न करें और यदि उसके उपरांत भी अभिभाषकणग/पक्षकारगण राशि जमा करते है और उसका भुगतान नहीं हो पाता है तो उसके लिये अभिभाषकगण/पक्षकारगण ही जिम्मेदार होंगे।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक–12173/दो–12–40/16 उज्जैन,दिनांक.........नवम्बर, 2024
26 NOV 2024

प्रतिलिपि –

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, जिला उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालय।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु पालनार्थ प्रेषित्।

2. अध्यक्षक, अभिभाषक संघ, उज्जैन/ बड़नगर/ खाचरौद/ नागदा/ तराना/महिदपुर।

   की ओर उक्त परिपत्र की प्रति प्रेषित कर, परिपत्र के माध्यम से जो निर्देश प्रसारित किये जा रहे है कि सूचना आपकी स्थापना पर कार्यरत् समस्त अभिभाषकगण को आवश्यक रूप से पालन करने हेतु दी जाना सुनिश्चित करें ताकि परिपत्र के माध्यम से दिये गये निर्देशों को पालन किया जा सके।

3. जिला नाजिर, उज्जैन/नायब नाजिर बड़नगर/ खाचरौद/ नागदा/तराना/महिदपुर।

   की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस परिपत्र की एक प्रति अभिभाषकगण/पक्षकारगण को जानकारी सुलभ रूप से प्रदान करने हेतु सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)